

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ बांसवाडा में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम व वनपाल 20,000 /— रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार ।

जयपुर, 23 अगस्त, शनिवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. कार्यालय बांसवाडा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये शान्तिलाल चावला, क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम वन रेंज डूंगरा मुख्यालय सज्जनगढ जिला बांसवाडा व लाडजी गरासिया वनपाल नाका ताम्बेसरा वन रेंज डूंगरा मुख्यालय सज्जनगढ जिला बांसवाडा को रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ए.सी.बी. बांसवाडा को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवारी की फर्म द्वारा वन रेंज में नर्सरी सुधारीकरण व अन्य मरम्मत कार्यों के बिल पास करने के लिए उक्त बिलों का 15 प्रतिशत कमीशन राशि कुल 80,000 /— रुपये की मांग कर परेशान किया जा रहा था जिस पर दिनांक 22.08.2025 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराया गया जिसमें आरोपी लाडजी गरासिया वनपाल ने परिवारी से बिलों का भुगतान करने से पहले अग्रिम रिश्वत राशि 20,000 /— रुपये आरोपी शान्तिलाल चावला क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के लिए लेने हेतु सहमत हुआ।

जिस पर एसीबी उदयपुर रेंज के उप महानिरीक्षक श्री प्रहलाद सिंह कृष्णिया के सुपरवीजन में ए.सी.बी. बांसवाडा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ऋषिकेश मीना के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी लाडजी गरासिया वनपाल को रिश्वत राशि 20,000 /— रुपये आरोपी शान्तिलाल चावला क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के लिए रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया तथा शान्तिलाल चावला क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम की भी उक्त रिश्वत लेने-देने मामले में संलिप्तता होने से गिरफ्तार कर लिया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपीगण से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। आरोपी शान्तिलाल चावला क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के निवास व वन रेंज डूंगरा के परिसर में स्थित निवास एवं लाडजी गरासिया के वन रेंज डूंगरा के परिसर में स्थित निवास की भी तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।